

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग

खाद्य भवन, भू-तल, शासन सचिवालय, जयपुर-302005

पत्रांक: एफ.5(2) आ.प्र.एवं सहा./पशुशिविर/पार्ट-ग/2015

१३६२-७३

जयपुर, दिनांक: १५-७-१५


जिला कलेक्टर (आ.प्र. एवं सहायता),
अजमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बीकानेर,
चित्तौड़गढ़, चूरू, झूंगरपुर, श्रीगंगानगर,
हनुमानगढ़, जालौर, जैसलमेर, जोधपुर,
प्रतापगढ़।

विषय:- अभाव सम्बत् 2071 में खरीफ फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त घोषित जिलों में 90 दिवस से अधिक अवधि हेतु पशु संरक्षण गतिविधियों के संचालन के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्र सं. एफ १(2) आ.प्र. एवं सहा./ सामान्य / पार्ट-ग/2012/4057-70 दिनांक 02.4.2015 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि अभाव सम्बत् 2071 में खरीफ फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त घोषित जिलों में 90 दिवस से अधिक अवधि हेतु पशु संरक्षण राहत गतिविधियों के तहत पशु शिविर, गौशाला अनुदान एवं पेयजल परिवहन व्यवस्था माह अप्रैल से जून, 2015 तक संचालित करने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था। राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार आपके जिले में संचालित उक्त समस्त गतिविधियों का संचालन 15 जुलाई, 2015 तक आवश्यकतानुसार किया जा सकता है। 15 जुलाई, 2015 के बाद चलाई गई ऐसी गतिविधियों के भुगतान के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं होगी।

भवदीय,

शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीया मुख्य मंत्री महोदया, राज. जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता, राज. जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, पशु पालन एवं प्रबंध निदेशक, आर.सी.डी.एफ., जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
9. समस्त अधिकारीगण, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
10. प्रोग्रामर, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
11. गार्ड फाईल।


संयुक्त शासन सचिव